IN-UK99862055269984X

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK99862055269984X
Certificate Issued Date	:	20-Jun-2025 05:53 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1203304/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120330406555319720996X
Purchased by	:	SHREE DEV BHOOMI INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCE
Description of Document	:	Article 19 Certificate or other Document
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SHREE DEV BHOOMI INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCE
Second Party	:	N A
Stamp Duty Paid By	:	SHREE DEV BHOOMI INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCE
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Al.No. .... L.No.
PRADEEP KUMAR
STAMP VENDOR
Court Compound, Dehradun

Please write or type below this line

राज्य के निजी नर्सिंग / पैरामेडिकल संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन), देहरादून में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु समझौता ज्ञापन

(Memorandum of Understanding)

समक्षः मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।

प्रथम पक्षः– प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन), देहरादून।

बनाम

द्वितीय पक्षः– अध्यक्ष, श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पौंधा, देहरादून।

Shree Dev Bhoomi Institute of

1. प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय की शैय्याओं की सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि उस क्षेत्र में राजकीय संस्थाओं की स्थापना होने अथवा प्रश्नगत चिकित्सालयों में शैय्याओं की आवश्यकता होने पर शैय्याओं की सम्बद्धता 03 माह का पूर्व नोटिस देकर समाप्त कर दी जायेगी।
2. संबंधित चिकित्सालयों में संस्था के संबंधित पाठ्यकम के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी रु0 3,000/– प्रतिमाह शुल्क द्वारा दिया जाना होगा, जिसे वार्षिक व्यय के रुप में संबंधित चिकित्सालयों के प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष/अधीक्षक के नाम बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व जमा कराना होगा। शैय्या सम्बद्धीकरण हेतु संस्थान को चिकित्सालयों से संबंधित पाठ्यकम की अवधि के लिए एम0ओ0यू0 करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्ति के समय यदि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या राजकीय चिकित्सालय की चल–अचल सम्पत्ति की क्षति की जाती है, तो इसका हर्जाना संस्था द्वारा भरा जायेगा एवं स्थिति विवादित हाने पर प्रशिक्षण समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में चिकित्सालय की प्रबन्धन समिति द्वारा जांच आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी तथा महानिदेशक द्वारा प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
4. प्रयोगात्मक/अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु एक चिकित्सालय में केवल एक ही प्रशिक्षण संस्थान को ही सम्बद्धता प्रदान की जायेगी, परन्तु उक्त चिकित्सालय में शैय्याओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान को भी पाठ्यकम के अनुसार प्रशिक्षणार्थी एवं शैय्या का अनुपात 1:3 एवं अनुपात 1:1 के अनुसार शैय्याओं का सम्बद्धीकरण प्रदान किया जायेगा। यदि चिकित्सालय द्वारा किसी अन्य संस्थान से पूर्व में शैय्याओं को सम्बद्धीकरण किया गया है, तो नवीन प्रशिक्षण संस्थान से शैय्याओं का सम्बद्धीकरण करते समय पूर्व में सम्बद्ध की गयी शैय्याओं का संस्थानवार विवरण MoU में उल्लिखित किया जायेगा।
5. चिकित्सालय के सम्बद्धीकरण तथा अन्य पहलुओं के संबंध में भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली तथा उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा अधिनियम, 2009 तथा उत्तराखण्ड परा–चिकित्सक विनियम, 2014 द्वारा समय–समय पर निर्गत नवीनतम मानकों/दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. निजी संस्थानों द्वारा सम्बद्धता हेतु प्रतिवर्ष उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 01 वर्ष की अवधि के लिए एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जाना होगा, जिसे विभाग द्वारा 03 माह का पूर्व नोटिस देकर भी समाप्त किया जा सकेगा।
7. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को शैय्याओं की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के 02 वर्ष के भीतर अपना स्वंय का चिकित्सालय स्थापित किया जाना होगा।
8. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रयोगात्मक/अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन), देहरादून को 130 बैड (शैय्याओ) की अनुमति प्रदान किया जा रहा है।

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय,
(कोरोनेशन), देहरादून
प्रथम पक्ष

अध्यक्ष
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन
साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी, पौंधा, देहरादून
द्वितीय पक्ष

Shree Dev Bhoomi Institute of
Education Science & Technology
Village Mazhon, P.O. Poundha
Via-Premnagar, Dehradun (U.K.)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
देहरादून

महानिदेशक, चिकित्सा
स्वास्थ्य एवं प0क0